



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
☎ 0141- 5196302 ☎ 0141-5196317, 5196304



क्रमांक- प-19 (1)()निमअ/साथिन प्रशिक्षण मॉड्यूल/2015

जयपुर, दिनांक-

सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता
जिला- बांसवाडा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, भीलवाडा,
अजमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ, बाडमेर, जैसलमेर।

विषय:- साथिनों का दस दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण (कार्य प्रशिक्षण) प्रारम्भ करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके जिले की नवीन चयनित साथिनों का दस दिवसीय आधारभूत कार्य प्रशिक्षण संलग्न समय सारणी के अनुसार करवाया जाना सुनिश्चित करें साथ ही निम्न बिन्दुओं की पालना की जावे।

- साथिनों का प्रशिक्षण आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (AWTCs) के माध्यम से आयोजित किया जावे।
- AWTC स्थित जिले से संबंधित सहायक निदेशक, मअ. साथिनों के प्रशिक्षण हेतु उचित प्रशिक्षण स्थल एवं आवास व भोजन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे।
- AWTC स्थित जिले से संबंधित सहायक निदेशक विभागीय वित्तिय मापदण्ड के अनुरूप निदेशालय आदेश क्रमांक 17804 दिनांक 09.06.2014 के अनुसार प्रशिक्षण पर व्यय करना सुनिश्चित करें।
- साथिनों का प्रशिक्षण संलग्न शेड्यूल के अनुसार हो एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रतिदिवस प्रति सत्र के विषय वस्तु के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं गतिविधियां हो, उसके लिए उपयुक्त संदर्भ व्यक्ति एवं विषय विशेषज्ञ की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- सहायक निदेशक, मअ. द्वारा विविध व्यय मदशीर्ष में उपलब्ध बजट से प्रशिक्षण दिये जावे तथा पर्याप्त बजट उपलब्ध ना होने पर निदेशालय से बजट की मांग कर ली जावे।
- प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त प्रशिक्षण की प्रतिदिन की गतिविधि की रिपोर्ट मय फोटोग्राफ संलग्न कर प्रशिक्षण रिपोर्ट एवं प्रशिक्षण पर हुए व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशिक्षण समाप्ति के 15 दिवस में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

sd
(रेणु खण्डेलवाल)
अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता

क्रमांक- 19 (1)()निमअ/साथिन प्रशिक्षण मॉड्यूल/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

96780-826 जयपुर, दिनांक-18/9/18



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
☎ 0141- 5196302 📠 0141-5196317, 5196304



1. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता को प्रशिक्षण स्थल से संबंधित जिलों को प्रति बैच अनुसार बजट आवंटन हेतु।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित जिला.....
3. उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं संबंधित जिला
4. उपनिदेशक, (एसीपी.), महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
5. सहायक निदेशक, म.अ. जिला..... को भेजकर लेख है कि साथियों के निर्धारित समयानुसार प्रशिक्षण हेतु उचित व्यवस्था करें।
6. संबंधित प्रशिक्षण स्थल.....

..... को भेजकर लेख है कि बैच से संबंधित जिलों से आने वाली साथियों का प्रशिक्षण निर्धारित समयानुसार करवाने का श्रम करावें।

(रिणु खण्डेलवाल)
अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता